क्रम-संख्या–343 (ख)

रजिट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 दिसम्बर, 2017

अग्रहायण 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–4

संख्या 2842/77-4–17-158एन-85 टीसी
लखनऊ, 7 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

प०आ०–561

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) की धारा 9 की उपधारा (2) एवं धारा 19 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (पाँचवां संशोधन) विनियमावली, 2017 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 24.8 का संशोधन

2–नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2010 में, विनियम 24.8 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम (14) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप विनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम**
(14) आवेदक 5000 वर्ग मी० अथवा इससे अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित करेगा उसका अनुमन्य एफ०ए०आर० / उपलब्ध	(14) ऐसे आवेदक जो 5000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक के भूखण्ड पर ग्रीन भवन निर्मित करेगा, को अनुमन्य / उपलब्ध एफ०ए०आर०

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप विनियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम**
एफ0ए0आर0 का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 (फर्शीय तल क्षेत्र अनुपात) निःशुल्क अनुमन्य होगा (इस एफ0ए0आर0 में सुविधा का 15 प्रतिशत सम्मिलित नहीं होगा), यदि वह निम्नलिखित शर्त पूर्ण करता है :–	का 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 नीचे उल्लिखित रेटिंग एजेन्सीज द्वारा ग्रीन भवन के लिये पूर्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात निःशुल्क अनुमन्य किया जायेगा (विहित एफ0ए0आर0 सेवाओं का अतिरिक्त 15 प्रतिशत एफ0ए0आर0 सेवाओं का अतिरिक्त 15 प्रतिशत एफ0ए0आर0 सम्मिलित नहीं है), परन्तु यह कि वह निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करता हो:–
(एक) भवन/भवन के डिजाइन को (लीड) द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी है, या भवन या भवन के डिजाइन को भारत सरकार द्वारा विकसित 'ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटैट एसाइनमेंट' द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की गयी है,	(एक) भवन/भवन के डिजाइन को लीडरशिप इन इनर्जी एण्ड इनवायरमेण्टल डिजाइन (लीड) द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी हो अथवा भवन/भवन के डिजाइन को भारत सरकार द्वारा विकसित 'ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटैट एसाइनमेंट' द्वारा 4 स्टार या 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की गयी हो या भवन/भवन के डिजाइन को 'इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल (आई0जी0बी0सी0)' द्वारा गोल्ड या प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गयी हो,
(दो) प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और भू–दृश्यावली मानकों को पूर्ण करते हुए भवन का निर्माण पूर्ण कराया गया है,	(दो) प्रचलित विनियमावली के पार्किंग और भू-दृश्यावली के मानकों को पूर्ण करते हुए भवन का निर्माण पूर्ण कराया गया हो,
(तीन) आवेदक ने अतिरिक्त एफ0ए0आर0 के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है।	(तीन) आवेदक ने अतिरिक्त एफ0ए0आर0 का उपयोग करने के लिए पर्याप्त उपबंध किया हो।
टिप्पणी–आवेदक को भवन के लिए लीड/ग्रीहा से एक रेटिंग प्रमाणक प्राप्त कर प्रस्तुत करना है और प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात अनुपालन का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है। ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण उसे एक माह की नोटिस देने के बाद क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की लागत का 200 प्रतिशत की दर से निःशुल्क दी गयी एफ0ए0आर0 का प्रशमन फीस प्रभारित कर सकता है।	**टिप्पणी**--आवेदक को पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करते समय लीड/ग्रीहा/आई0जी0बी0सी0 से ग्रीन भवन के लिए अन्तिम रेटिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है। यदि वह यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण, उसे एक माह की नोटिस देने के पश्चात् क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की लागत का 200 प्रतिशत की दर से निःशुल्क दी गयी एफ0ए0आर0 का प्रशमन फीस प्रभारित कर सकता है।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2842/LXXVII-4-17–158 N-85 TC, dated December 7, 2017:

No. 2842/LXXVII-4-17–158 N-85 TC

Dated Lucknow, December 7, 2017

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 9 and section 19 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, the New Okhla Industrial Development Authority hereby makes the following regulations with a view to amending the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010.

THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

Short title and commencement

1. (1) These regulations shall be called the New Okhla Industrial Development Area Building (Fifth Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette.*

Amendment of regulation 24.8

2. In The New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010 in regulation 24.8 *for* sub-regulation (14) set out in column 1 below, the sub-regulation as set out in column 2 shall be *substituted,* namely :–

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing sub-regulation	*Sub-regulation as hereby substituted*
(14) The applicant who shall construct Green Building on a plot of 5000 sq. mts. and above for any use may be allowed an additional FAR of 5% of the permissible/availed FAR (excluding additional 15% of prescribed FAR for services), free of cost, provided that the applicant fulfils the following conditions :–	(14) The applicant who shall construct Green Building on a plot of 5000 sq. mts. and above for any use may be allowed an additional FAR of 5% of the permissible/availed FAR (excluding additional 15% of prescribed FAR services), free of cost, after submission of pre-certificate for green building from below mentioned rating agencies, provided that the applicant fulfils the following conditions :–
(i) The building /design of the building is rated by Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) as Gold or Platinum or the Building/Design of the building is rated as 4 or 5 star by the 'Green Rating for Integrated Habitat Assignment' developed by the Government of India.	(i) The Building/Design of the building is rated by Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) as Gold or Platinum or the Building/Design of the building is rated as 4 or 5 star by the 'Green Rating for Integrated Habitat Assignment' developed by the Government of India or the Building/Design of the building is rated by Indian Green Building Council (IGBC) as Gold or Platinum.
(ii) The Building has been completed fulfilling the parking and landscaping norms of the prevailing regulations.	(ii) The Building has been completed fulfilling the parking and landscaping norms of the prevailing regulations.

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing sub-regulation	*Sub-regulation as hereby substituted*
(iii) The applicant has made sufficient provisions for using the additional FAR.	(iii) The applicant has made sufficient provisions for using the additional FAR.
Note :– The Applicant has to submit a rating certificate for the building from LEED/GRIHA and a certificate of compliance is to be submitted after every five years. In case he fails to submit this certificate, the Authority, after giving him one month notice, may charge the compounding fees of the FAR given free of cost at the rate of 200% of the cost of purchasable FAR.	**Note :–** The Applicant has to submit a final rating certificate for green building from LEED/GRIHA/IGBC at the time of applying for completion certificate. A compliance certificate is to be submitted after every five years. In case he fails to submit this certificate, the Authority, after giving him one month notice, may charge the compounding fees of the FAR given free of cost at the rate of 200% of the cost of purchasable FAR.

By order,
ALOK SINHA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 704 राजपत्र–(हिन्दी)–2017–(2272)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 6 सा० उद्योग–2017–(2273)–100 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।